

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों के सीटों का विवरण

राज्य कोटे की सीटों का विवरण

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	राज्य कोटे की कुल सीट संख्या	अनारक्षित						ई. डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) (10 प्रतिशत)	विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति (02 प्रतिशत)						अनुसूचित जनजाति (30 प्रतिशत)						अनुसूचित जाति (12 प्रतिशत)						अन्य पिछड़ा वर्ग (14 प्रतिशत)					
			सैनिक	एफ.एफ.	दिव्यांग	महिला	निल	योग		सैनिक	एफ.एफ.	दिव्यांग	महिला	निल	योग	सैनिक	एफ.एफ.	दिव्यांग	महिला	निल	योग	सैनिक	एफ.एफ.	दिव्यांग	महिला	निल	योग	सैनिक	एफ.एफ.	दिव्यांग	महिला	निल	योग
1	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	60	0	0	1	6	13	20	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	13	18	0	0	0	2	5	7	0	0	0	2	6	8
2	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर	64	0	0	1	6	16	23	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	14	19	0	0	0	2	5	7	0	0	0	2	6	8
3	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चन्द्रखुरी,	51	0	0	1	6	15	22	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	11	15	0	0	0	1	5	6	0	0	0	2	5	7
4	भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्साल, पुलगांव चौक, दुर्ग	85	1	1	1	11	24	38	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	7	17	25	0	0	0	3	7	10	0	0	0	3	8	11
5	रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, रायगढ़	85	1	1	1	11	24	38	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	7	17	25	0	0	0	3	7	10	0	0	0	3	8	11
6	रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड रायपुर	30	0	0	0	4	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	3	4
योग		375	2	2	5	44	102	155	12	0	0	0	0	5	5	0	0	2	30	79	111	0	0	0	11	32	43	0	0	0	13	36	49

अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	सीटों का निर्धारण				
		राज्य कोटे की कुल सीट संख्या	अल्पसंख्यक समुदाय	अनारक्षित	राज्य कोटे की सीटों का 50 प्रतिशत सीटें प्रदेश के स्थानीय निवासी अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रहेंगी। इन सीटों पर प्रवेश उन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा (NEET) की परस्पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में उपरोक्त सीटों पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों की पूर्ति सामान्य प्रावीण्यता सूची के अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी। इन सीटों पर छत्तीसगढ़ शासन का आरक्षण नियम लागू नहीं होगा।	
1	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव	85	43	42		
2	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुन्दरा, राजनांदगांव	51	26	25		

ऑल इंडिया कोटे की सीटों का विवरण

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	ऑल इंडिया कोटे की कुल सीट संख्या (आरक्षण लागू नहीं होगा)
1	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चन्द्रखुरी, दुर्ग	9
2	भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्साल, पुलगांव चौक, दुर्ग	15
3	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव	15
4	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुन्दरा, राजनांदगांव	9
5	रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, रायगढ़	15
6	रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड रायपुर	5
योग		68